न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

Rs. 301-

R 5074-II/16

1- रामगोपाल तनय मंगलिया काछी

2- नागेश्वर तनय गोरा काछी

दोनो निवासी ग्राम भेहाई तहसील नागोद जिला सतना म०प्र०

... निगराकार गण

बानाम

नागेन्द्र सिंह तनय रामकरण सिंह निवासी ग्राम पुरवा तहसील नागोद जिला सतना म०प्र० ... गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 485/अपील/15-16 आदेश दिनांक 29.01.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता

श्री. असराम विश्वकर्मा द्वारा आज दिनांक 12-2-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नहै

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि निगराकार क्रमांक -1 के पिता मंगलिया काछी द्वारा गैर निगराकार के बाबा कमल सिंह से दिनांक 18.8.1972 को जरिये रजि० विक्रय पत्र आराजी नं. 645/1 रकवा 65 एकड़ स्थित ग्राम भेहाई राजस्व निरीक्षक मण्डल नागोद तहसील नागोद जिला सतना के क्रय कर विवादित भूमि पर विक्रेता के बताये अनुसार काबिज दखील होकर लगातार कृषि कार्य करता चला आ रहाहै। निगराकार क्रमांक -1 को घरेलू आवश्यकता हेतु उक्त आराजी मे से 0.30 एकड़ भूमि निगराकार क्रमांक -2 कोजरिये रजि० विक्रय पत्र के माध्यम से

क्र..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5074—दो / 2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—7—2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के अवलोकन उपरांत यह पाते हुये कि सीमांकन के आधार पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा पाते हुये बेदखल कर अर्थदण्ड की कार्यवाही को कलेक्टर द्वारा सही पाया है। इसी कारण अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को उचित पाते हुये आवेदक की अपील को ग्राह्यता के बिन्दु पर ही निरस्त किया है। आवेदक यदि उक्त सीमांकन से असंतुष्ट है तो अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	